भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 57
(जिसका उत्तर सोमवार, 1 दिसंबर, 2025/10 अग्रहायण, 1947(शक) को दिया जाना है)

कराधान वर्ष 2024-25 के लिए पश्चिम बंगाल में आयकर फाइलिंग

57. **श्री जगन्नाथ सरकारः**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कराधान वर्ष (एवाई) 2024-25 में पश्चिम बंगाल के निवासियों द्वारा 5 लाख रुपये से कम, 5 लाख रुपये से 7 लाख रुपये तक, 7 लाख रुपये से 12 लाख रुपये तक, 12 लाख रुपये से अधिक, 1 करोड़ रुपये से अधिक और 10 करोड़ रुपये से अधिक की आय श्रेणियों में फाइल किए गए आयकर रिटर्न (आईटीआर) की कुल संख्या कितनी है;

(ख) विगत कराधान वर्षों की तुलना में उक्त में से प्रत्येक श्रेणी में करदाताओं की संबंधित संख्या कितनी है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल से टैक्स फाइलिंग में वृद्धि या कमी हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पश्चिम बंगाल से कुल राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर का प्रतिशत कितना है और देश के अन्य प्रमुख राज्यों की तुलना में यह किस प्रकार भिन्न है; और

(ङ) सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में कर आधार का विस्तार करने और बड़ी आय प्राप्त करने वाले लोगों के बीच अधिक अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख) पश्चिम बंगाल के निवासियों द्वारा कराधान वर्ष (एवाई) 2024-25 में फाइल आयकर रिटर्न (आईटीआर) की कुल संख्या, आय श्रेणी में - ₹ 5 लाख से कम, ₹ 5 लाख से ₹ 7 लाख, ₹ 7 लाख से ₹ 12 लाख, ₹ 12 लाख से अधिक, ₹ 1 करोड़ से अधिक और ₹ 10 करोड़ से अधिक और पिछले कराधान वर्षों

की तुलना में इनमें से प्रत्येक श्रेणी में करदाताओं की तदनुरूपी संख्या नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत है –

तालिका-1: पश्चिम बंगाल राज्य में आयकर रिटर्न(आईटीआर) का संक्षिप्त ब्यौरा

क्रम सं.	रिटर्न-आय की सीमा (कुल आय)	कराधान वर्ष 2021-22	कराधान वर्ष 2022-23	कराधान वर्ष 2023-24	कराधान वर्ष 2024-25
1	₹ 5 लाख से कम	34,43,348	35,79,834	38,27,759	27,13,686
2	₹ 5 लाख से ₹ 7 लाख तक	3,90,179	4,23,309	4,50,107	14,55,068
3	₹ 7 लाख से ₹ 12 लाख तक	3,55,494	3,90,918	4,20,628	5,75,450
4	₹12 लाख से ₹1 करोड़ तक	2,43,787	3,14,009	3,69,479	5,34,662
5	₹1 करोड़ से से ₹10 करोड़ तक	8,852	12,362	13,471	18,048
6	₹ 10 करोड़ से अधिक	878	1,258	1,362	1,719
		44,42,538	**47,21,690**	**50,82,806**	**52,98,633**

(ग) जैसा कि प्रश्न (क) के उत्तर में ऊपर दी गई तालिका-1 में दर्शाया गया है, पश्चिम बंगाल में पिछले चार कर कराधान वर्षों में टैक्स फाइलिंग में लगातार वृद्धि देखी गई है। फाइल किए गए कुल आयकर रिटर्न (आईटीआर) की संख्या, जो कराधान वर्ष 2021-22 में 44.42 लाख थी, कराधान वर्ष 2022-23 में 47.21 लाख, कराधान वर्ष 2023-24 में 50.82 लाख और कराधान वर्ष 2024-25 में 52.99 लाख तक पहुँच गई। यह वृद्धि दर विभिन्न आय वर्गों में रिटर्न फाइल करने में वर्ष-दर-वर्ष स्थिर वृद्धि को दर्शाती है और हाल के वर्षों में मध्यम और उच्च आय वर्गों में विशेष रूप से उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

(घ) पश्चिम बंगाल ने वित्त वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर संग्रह में 3.14% और वित्त वर्ष 2024-25 में 2.89% का योगदान दिया, जिससे निवल संग्रह ₹60,374.64 करोड़ से बढ़कर ₹63,075.47 करोड़ हो गया। हालाँकि राज्य ने राजस्व योगदान को स्थिर बनाया हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, तमिलनाडु, गुजरात और हरियाणा जैसे प्रमुख कर-योगदानकर्ता राज्यों की तुलना में इसका हिस्सा मध्यम स्तरीय बना हुआ है, जो कुल मिलाकर राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर संग्रहण का एक काफी बड़ा हिस्सा है।

तालिका-2: कुल राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर संग्रहण में पश्चिम बंगाल का योगदान और इसकी अन्य प्रमुख राज्यों से तुलना

क्रम. सं.	राज्य / केंद्र शासित प्रदेश	वित्त वर्ष 2023-24 (करोड़ रुपये) का निवल संग्रहण	हिस्सा % में	वित्त वर्ष 2024-25 (करोड़ रुपये) का निवल संग्रहण	हिस्सा % में
1	आंध्र प्रदेश	26,066.46	1.36	23,804.85	1.09
2	अरुणाचल प्रदेश	233.98	0.01	150.60	0.01

3	असम	7,510.93	0.39	6,819.31	0.31
4	बिहार	6,692.73	0.35	6,904.99	0.32
5	झारखंड	10,500.59	0.55	10,712.95	0.49
6	गोवा	3,867.43	0.20	4,515.85	0.21
7	गुजरात	93,300.72	4.86	107,241.41	4.91
8	हरियाणा	70,947.31	3.69	79,731.48	3.65
9	हिमाचल प्रदेश	3,150.17	0.16	3,076.54	0.14
10	कर्नाटक	2,34,098.39	12.18	2,61,528.83	11.97
11	केरल	23,966.92	1.25	27,974.60	1.28
12	मध्य प्रदेश	20,086.99	1.05	19,639.22	0.90
13	छत्तीसगढ	13,534.13	0.70	12,518.10	0.57
14	महाराष्ट्र	7,61,716.30	39.65	8,97,425.86	41.08
15	मणिपुर	323.12	0.02	368.17	0.02
16	मेघालय	1,800.73	0.09	2,174.48	0.10
17	मिजोरम	81.78	0.00	74.46	0.00
18	नगालैंड	344.10	0.02	225.27	0.01
19	दिल्ली	2,03,197.06	10.58	2,29,250.33	10.49
20	ओडिशा	20,865.54	1.09	25,444.08	1.16
21	पंजाब	17,215.00	0.90	19,656.65	0.90
22	राजस्थान	30,551.42	1.59	34,382.78	1.57
23	सिक्किम	287.83	0.01	292.17	0.01
24	तमिलनाडु	1,27,067.17	6.61	1,32,368.09	6.06
25	त्रिपुरा	417.38	0.02	387.29	0.02
26	उत्तर प्रदेश	48,333.44	2.52	69,011.21	3.16
27	उत्तराखंड	15,861.49	0.83	2,629.65	0.12
28	**पश्चिम बंगाल**	**60,374.64**	**3.14**	**63,075.47**	**2.89**
29	तेलंगाना	84,439.24	4.39	97,860.86	4.48

(ङ) सरकार द्वारा पूरे देश में कर आधार बढ़ाने के उपाय किए जा रहे हैं। ये उपाय किसी विशेष राज्य तक सीमित नहीं हैं। तदनुसार, पूरे देश में कर आधार और अनुपालन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

- **आयकर रिटर्न पहले से भरना:** कर अनुपालन को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए, व्यक्तिगत करदाताओं को पहले से भरे हुए आयकर रिटर्न (आईटीआर) उपलब्ध कराए गए हैं। पहले से भरी गई जानकारी के दायरे में वेतन आय, बैंक ब्याज, लाभांश आदि जैसी जानकारी शामिल है।

- **अद्यतन रिटर्न:** आयकर अधिनियम की धारा 139(8क) करदाता को संगत कराधान की समाप्ति से चार वर्षों के भीतर किसी भी समय अपना रिटर्न अद्यतन करने की सुविधा प्रदान करती है, ताकि वह स्वेच्छा से चूक या गलतियों को स्वीकार करके और लागू होने पर अतिरिक्त कर का भुगतान करके अद्यतन रिटर्न फाइल कर सके।
- **कॉर्पोरेट कर की दर में कमी:** वित्त अधिनियम, 2016 से शुरू करके, कॉर्पोरेट कर की दरों को धीरे-धीरे कम किया गया है, जबकि कर आधार बढ़ाने के लिए कॉर्पोरेट्स को उपलब्ध छूट और प्रोत्साहन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया गया है।
- **व्यक्तिगत आयकर का सरलीकरण:** वित्त अधिनियम, 2020 ने व्यक्तिगत करदाताओं को निर्दिष्ट छूट और प्रोत्साहन का लाभ नहीं उठाने पर कम स्लैब दरों पर आयकर का भुगतान करने का विकल्प प्रदान करके आयकर रिटर्न फाइल करना सरल बना दिया है।
- **काला धन अधिनियम:** विदेशों में जमा किए गए काले धन के प्रवाह को रोकने के लिए काला धन (अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 (काला धन अधिनियम) लागू किया गया है, इससे आयकर रिटर्न फाइल करने में स्वैच्छिक अनुपालन में वृद्धि हुई है।
- **बेनामी कानून:** बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 को बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा व्यापक रूप से संशोधित किया गया ताकि बेनामी संपत्ति को जब्त किया जा सके और बेनामीदार तथा लाभार्थी मालिक के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सके।
- **टीडीएस/टीसीएस के दायरे का विस्तार:** नए करदाताओं को आयकर विभाग के दायरे में लाने के लिए, टीडीएस/टीसीएस के दायरे का विस्तार किया गया, जिसमें बड़ी मात्रा में नकदी निकासी, विदेश से धन प्रेषण, लक्जरी कार की खरीद, ई-कॉमर्स प्रतिभागी, माल की बिक्री, अचल संपत्ति का अधिग्रहण, एलआरएस के तहत धन प्रेषण, विदेशी टूर प्रोग्राम पैकेज की खरीद आदि को शामिल किया गया।
- आयकर विभाग ने नॉन-फाइलर मॉनिटरिंग सिस्टम (एनएमएस) लागू किया है, जो तीसरे पक्ष से प्राप्त जानकारी सहित करदाता की जानकारी को एकीकृत और विश्लेषित करता है, ताकि उन व्यक्तियों/संस्थाओं की पहचान की जा सके जिन्होंने बड़ी रकमों के वित्तीय लेनदेन किए हैं, लेकिन अपना आयकर रिटर्न फाइल नहीं किया है।

*****